तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.7.20	न्यायालय कार्य स्थगित होने से पत्रावली वास्ते बहस दि 20-8-20 को पेश हो	
20.8.20	पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त [illegible] पत्रावली [illegible] 22.9.20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी, वैर	
22.9.20	आज अधिवक्तागण द्वारा कार्य स्थगित किया गया है पत्रावली वास्ते बहस दि 27.10.20 को पेश हो	
27.10.20	[illegible] पक्षकारान [illegible] पक्षकारान की बहस सुनी गयी वादी [illegible] का प्रार्थना पत्र [illegible] स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय लिखकर [illegible] किया गया। पत्रावली [illegible] मूल दावा के साथ संलग्न की जावे उपखण्ड अधिकारी वैर (भरतपुर) राज.	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी अमित कुमार वर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 28/16 उनवान

1. लालाराम पुत्र बूचा जाति जाट नि. भूतौली तह. वैर

....वादी सायल

बनाम

1. कमल
2. बाबू पुत्रान खुन्नी जाति जाटव निवासी भूतौली तह. वैर
3. रमेश
4. गंगी पुत्रान कमल जाति जाटव निवासी भूतौली तह. वैर
5. विश्राम पुत्र वसु जाति जाटव निवासी भूतौली तह. वैर

.....प्रतिवादी गैर सायलान

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटी एक्ट

उपस्थित 1. श्री ओपी व्यास एडवोकेट–सायल

2. श्री पूरन चन्द धाकड एडवोकेट– गैर सायलान

निर्णय दिनांक – 27-10-20

वादी सायल की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटी एक्ट इस न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आराजी खसरा न. 36 रकबा 2 बीघा 16 विस्वा, वाके ग्राम भूतौली, तह. वैर जिला भरतपुर में स्थित है जिसको वादी सायल लालाराम ने प्रतिवादी गैर सायलान के स्व. पिता खुन्नी पुत्र सूखा जाति जाटव निवासी ग्राम भूतौली तह. वैर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.06.1974 को 1/2 हिस्से को खरीद लिया था। वादी सायल उपरोक्त वयनामा के रोज से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा मौके पर काबिज है एवं वर्तमान में भी वादी सायल की फसल उपरोक्त आराजी में सरसब्ज खडी हुई है। प्रतिवादी गैर सायलान का वादी सायल की उपरोक्त आराजी के 1/2 हिस्से से किसी भी प्रकार का कोई भी वास्ता व सरोकार किसी भी किस्म का आज तक नहीं रहा है और ना ही गैर सायलान ने उक्त आराजी में कभी भी काश्त की है और ना ही उनका कभी कब्जा रहा है। प्रतिवादी गैर सायलान एवं उनके पिता स्व. खुन्नी ने विक्रय पत्र कराये जाने यानि 41 वर्ष निकल जाने के बाद भी उक्त विक्रय पत्र को चैलेन्ज नहीं किया गया है जो कि आज भी प्रभावी है। उपरोक्त प्रतिवादी गैर सायलान के पिता खुन्नी का स्वर्गवास हो चुका है